संख्या-31011/2/2006-स्था. (क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 24 अप्रैल, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय गैर-सरकारी एयरलाइन्स से की जाने वाली यात्रा का विनियमन।

मुझे व्यय विभाग के दिनांक 23.11.2005 के का.ज्ञा. संख्या-7(2)/ई.समन्वय का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके अन्तर्गत बजट/व्यय प्रबन्धन के लिए कुछ उपाय जारी किए गए थे। इनमें से एक उपाय सरकारी यात्रा करते हुए गैर-सरकारी एयरलाइन्स द्वारा दी जा रही प्रतियोगी कीमतों और विभिन्न योजनाओं एवं रियायती किराए का लाभ उठाया जाना था। छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय गैर-सरकारी एयरलाइन्स द्वारा यात्रा करने देने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं, इस मामले पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा आदेशों के अंतर्गत राष्ट्रीय एयरलाइन्स कम्पनियों द्वारा यात्रा करने के हकदार अधिकारियों को, छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय, गैर-सरकारी एयरलाइन्स द्वारा भी यात्रा करने की अनुमति दे दी जाए।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय ऐसे अधिकारी जो हवाई-यात्रा के हकदार नहीं हैं, को रेलगाड़ी से जुड़े स्थानों के बीच, राष्ट्रीय और गैर-सरकारी दोनों एयरलाइन्स द्वारा हवाई-यात्रा करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि किराये की प्रतिपूर्ति, अधिकारी की, राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर रेलगाड़ी की उनकी हकदारी की श्रेणी तक ही सीमित होगी। उन्हें छुट्टी यात्रा रियायत की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय हवाई टिकट/बोर्डिंग पास प्रस्तुत करना होगा और यदि हवाई टिकट में किराया नहीं दर्शाया गया हो तो संबंधित एयरलाइन्स द्वारा जारी रसीद प्रस्तुत करनी होगी जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा अदा किया गया किराया दर्शाया गया होगा।

3. उपर्युक्त रियायत निम्नलिखित शर्तों के भी अध्यधीन है :-

(i) सरकारी कर्मचारियों द्वारा भारत के अंदर सरकारी दौरे के दौरान हवाई यात्रा के बारे में व्यय विभाग के दिनांक 24.03.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 19024/1/ई.IV/2005 (प्रति संलग्न) में निर्धारित की गई शर्तें, आवश्यक परिवर्तनों सहित, छुट्टी यात्रा रियायत के मामले में लागू होंगी।

(ii) यदि हवाई टिकट के लिए अदा की गई कीमत (गैर-सरकारी एयरलाइन्स की प्रोत्साहनजनक योजनाओं के मद्देनजर) हकदारी की श्रेणी के, रेलगाड़ी के किराये से कम है तो सरकार द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति, वास्तविक किराए अथवा रेलगाड़ी के हकदारी की श्रेणी के किराये, इमें से जो भी कम होगा, तक सीमित होगी।

-----2/-

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

5. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 12.04.2006 के आई.डी. सं.-145/ई.IV/05 के अन्तर्गत उनसे परामर्श करके जारी किया जाता है।

(सी.ए. सुब्रामणियम)
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

संख्या-31011/2/2006-स्था.(क) **दिनांक 24 अप्रैल, 2006**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
9. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
10. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
11. लोक सभा /राज्य सभा सचिवालय नई दिल्ली ।
12. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
13. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग।
14. वेबसाइट अनुभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
15. सूचना सुविधा केन्द्र, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली- 25 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
16. 200 अतिरिक्त प्रतियाँ।